8.6.15 | पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत / अवल [illegible] के [illegible] बेंच पर प्रस्तुत हुई प्रार्थी जहीर अहमद व प्रतिपक्षी बाबूलाल उपस्थित। वाद वादी डिक्री किया जा चुका है इस वाद के चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना खारिज किया जाता है पत्रावली नियमानुसार [illegible] [illegible] से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।